

शिक्षण

प्रशिक्षण

सशक्तीकरण



बासी

2015-2016

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय

बिजनौर (उ०प्र०) दूरभाष : 01342-264077

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा

बी ग्रेड (2.76) प्राप्त संस्थान

बी.एड. बी ग्रेड (2.65)

2768



यू जी सी. एक्ट 1956 के अन्तर्गत 2 एफ एवं 12 बी की सूची में सम्मिलित

स्थापित 1971

सन्देशिता : एम०जे०पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रबन्धन : वीरा चैरीटेबिल सोसायटी

(शिक्षा के प्रचार प्रसार व उन्नयन में निरन्तर अग्रसर एक प्रतिष्ठित संस्थान)

शिक्षण प्रशिक्षण सशक्तीकरण

संस्थापकों का परिचय



स्वर्गीय राजा ज्वाला प्रसाद जी

प्रेरणा स्रोत स्व० राजा ज्वाला प्रसाद (वीरा बन्धुओं के पिता) ब्रिटिश शासन में प्रथम चीफ इन्जीनियर जिनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश में कई जल परियोजनाएं बनायीं गयीं। बनारस विश्वविद्यालय के कैम्पस का निर्माण आपकी ही देखरेख में हुआ और अन्ततः बनारस विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद को सुशोभित किया।



स्वर्गीय रानी भाग्यवती देवी जी

स्व० रानी भाग्यवती देवी (वीरा बन्धुओं की पूजनीया माता जी) मण्डावर परगने की प्रथम सुशिक्षित समाजसेवी व सहृदया महिला।



स्वर्गीय धर्मवीर जी

योग्य माता पिता की योग्य सन्तान पद्मविभूषण से अलंकृत स्वर्गीय धर्मवीर जी (सेवानिवृत्त आई.सी.एस.) इस संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में विशेष ख्याति अर्जित की। इन्होंने 3 बार महामहिम राज्यपाल के पद को गौरवान्वित किया। कैबिनेट सचिव के पद पर रहकर योग्य प्रशासक का खिताब पदम पाया। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अभूतपूर्व योगदान रहा है।



स्वर्गीय कुँवर सत्यवीर जी

स्वर्गीय कुँवर सत्यवीर, संरक्षक रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर भूतपूर्व तकनीकी राज्यमंत्री, शिक्षा का अनन्य प्रेमी, कर्मवीर एक ऊर्जावान व्यक्तित्व।





× अध्यक्ष की कलम से

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का निरन्तर प्रयास रहा है कि महाविद्यालय कैम्पस में अधिक से अधिक सुविधाओं के साथ-साथ महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास किया जाए। पिछले दशक में महाविद्यालय ने अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। महाविद्यालय में सत्र 2007-2008 से कई नए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत बी.एड. में कक्षाएँ आरम्भ की गई हैं, इग्नू का केन्द्र स्थापित किया गया है। जुलाई 2011 से बी.एस-सी. होम साइंस पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है तथा जुलाई 2012 से बी.सी.ए. की कक्षाएँ आरम्भ हो चुकी हैं। एम.एससी. गृहविज्ञान की कक्षाएँ इस सत्र से प्रारम्भ हो रही हैं। महाविद्यालय की निरन्तर प्रगति एवं विकास, प्रबन्धतन्त्र, प्रवक्ता वर्ग, छात्राओं, कर्मचारियों और महाविद्यालय के अन्य शुभचिंतकों के संगठित एवं सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने समय-समय पर अपने सुझावों एवं अन्य प्रकार की रचनात्मक सक्रियता से संस्था को लाभान्वित किया है। स्वस्थ एवं श्रेष्ठ शिक्षण ही ज्ञान एवं योग्यता की मजबूत आधारशिला होता है, जो मनुष्य को बाह्य विश्व से सामना करने में सक्षम बनाता है। यह महाविद्यालय अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। मैं आगामी वर्षों में महाविद्यालय के बहुमुखी विकास एवं उसकी सफलता की कामना करता हूँ।

- अशोक चन्द्रा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)

प्राचार्या की कलम से

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय शिक्षण, प्रशिक्षण तथा सशक्तीकरण का एक अनुपम संस्थान है जिसमें आधुनिक शिक्षण पद्धति द्वारा शोध एवं शिक्षण की अति सुगम व्यवस्था है। महाविद्यालय छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिये असीमित अवसर प्रदान करता है।

महाविद्यालय छात्राओं की प्रगति के लिये अनेकानेक स्वर्णिम अवसरों का निर्माण करता है। महाविद्यालय के सम्मान एवं गर्व को ऊँचा उठाने के लिये महाविद्यालय की छात्राओं ने विश्वविद्यालय मेरिट में स्थान प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया है।

हमारे महाविद्यालय में ऊँची आकांक्षाएँ रखने वाली छात्राओं के लिये कई व्यावसायिक कार्यक्रम जैसे संगीत, मासकॉम व पत्रकारिता, शारीरिक शिक्षा, आंतरिक साज-सज्जा, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्प्यूटर शिक्षा, इग्नू से संबंधित कार्यक्रम जैसे बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स, मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट और सोशल वर्क, पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कॉम, एम.एस-सी. इन काउन्सिलिंग इन फैमिली थेरेपी इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

महाविद्यालय के इग्नू से जुड़ने के कारण जॉब कोर्सस में वृद्धि हुई है, जिससे छात्राओं को रोजगार की और अधिक संभावनाएँ प्राप्त हुई हैं। महाविद्यालय में शैक्षिक तकनीकी की मदद से शैक्षिक गुणवत्ता की एक संस्कृति स्थापित है।

आंतरिक गुणवत्ता सुधार समिति (IQAC) का भी कालेज में गठन किया गया है, जिससे शैक्षिक एवं प्रबंधन सहायता जैसे कार्यों व पाठ्यसहभागी क्रियाओं आदि में सभी छात्राओं को अवसर मिल सके।

कालेज में शिक्षक-अभिभावक संघ, पुरातन छात्रा संघ आदि की भी स्थापना की गई है। जिससे उनके विचारों और सुझावों को भी कालेज की प्रगति में शामिल किया जा सके। महाविद्यालय में विभिन्न विश्वविद्यालय जैसे- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इग्नू, जी0बी0 पन्त यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, वनस्थली यूनिवर्सिटी, एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, सी0सी0एस0 यूनिवर्सिटी आदि के जाने-माने प्रतिष्ठित प्रोफेसर विशेष व्याख्यान के लिये समय-समय पर आमंत्रित किये जाते हैं।



महाविद्यालय में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से अनेक प्रदर्शनी, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में अनेक छात्र सहायता सेवाएँ जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, शोधकक्ष ई-लर्निंग केन्द्र, निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र, समस्या समाधान समिति आदि छात्राओं के लिये कार्य करती है। निर्धन मेधावी छात्राओं के लिये आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति भी कालेज में प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में अनुभवी और उभरते हुए शिक्षकों की एक ऐसी टीम है, जो हर समय कालेज के उत्थान को तत्पर रहती है।

यह महाविद्यालय महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण के सपने साकार करता है, जो कभी रानी भाग्यवती देवी जी ने देखा था। इस महाविद्यालय की स्थापना रानी जी के पुत्र पूर्व राज्यपाल पद्मविभूषण स्वर्गीय श्री धर्मवीरा जी द्वारा हुई थी। इस महाविद्यालय की बागडोर समाजसेवी व पूर्व राज्य तकनीकी मंत्री स्वर्गीय श्री कुर्वर सत्यवीरा जी एवं स्वर्गीय श्री इन्दु वीरा जी ने संभाली। श्री रवि वीरा गुप्ता जी (रिटायर्ड डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया), चेयरमैन वीरा चैरिटेबिल सोसाइटी, श्री अशोक चन्द्रा (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.), अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति तथा श्रीमती मुक्ता वीरा, सेक्रेट्री प्रबन्ध समिति के योग्य एवं कुशल निर्देशन में महाविद्यालय योग्यता एवं कुशलता का केन्द्र बन रहा है। मुझे अपने महाविद्यालय पर गर्व है, जो मात्र 14 छात्राओं से 1971 में शुरू हुआ और सत्र 2014-15 में 3000 छात्राओं के आँकड़े को पार कर चुका है। एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) की कक्षाएँ इस सत्र से प्रारम्भ हो रही हैं।

मुझे आशा है, कि इस महाविद्यालय की शिक्षिकाएँ, छात्राएँ तथा सभी कर्मचारी पूरी लगन, मेहनत समर्पण से इस प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे और इसकी आंतरिक गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करेंगे।

(डा. रश्मि त्रिवेदी)

प्राचार्या,

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर
महिला महाविद्यालय, बिजनौर

अनुक्रमणिका

1. बिजनौर : एक परिचय
2. वीरा चैरिटेबिल सोसायटी : एक परिचय
3. हमारी प्रबन्ध समिति
4. महाविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य
5. संस्था का परिचय
6. दूरस्थ शिक्षा का केन्द्र-इग्नू
7. प्रवेश के नियम
8. महत्वपूर्ण सूचनाएँ
9. प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश हेतु आवश्यक नियम
10. सामान्य नियम
11. अति महत्वपूर्ण बिन्दु
12. सामान्य निर्देश
13. प्रवेश नियमावली (महाविद्यालयों के लिए)
14. प्राध्यापक मण्डल
15. शिक्षणोत्तर कर्मचारी
16. सरस्वती वन्दना एवम् कुलगीत

नोट : छात्रा प्रवेश से पूर्व विवरणिका (PORESPECTUS) को पूर्णरूप से ध्यानपूर्वक पढ़ें।



बिजनौर-एक परिचय

बिजनौर जनपद मेरठ, हरिद्वार, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर एवं ज्योतिबाफुले नगर आदि जनपदों से घिरा हुआ है। यह उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद-हरिद्वार रेलवे मार्ग पर स्थित है। बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में अग्रणी है। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में जनपद ने अनेक ख्याति प्राप्त महापुरुषों को जन्म दिया है। सम्पादकाचार्य स्व० पं० रुद्रदत्त शर्मा, सम्पादकाचार्य हरिदत्त शर्मा, बाबू सिंह चौहान (पत्रकारिता), पं० पद्म सिंह शर्मा (साहित्य), कुर्तुल एन. हैदर (उर्दू साहित्य), डिप्टी नजीर अहमद (प्रथम उर्दू उपन्यासकार), अब्दुल रहमान बिजनौरी (प्रख्यात आलोचक), निश्तर खानकाही (उर्दू-हिन्दी साहित्यकार), दुष्यंत कुमार त्यागी, (गज़ल सम्राट), डॉ० आत्मा राम (महान वैज्ञानिक) महाभारत सीरियल के सलाहकार श्री महावीर अधिकारी, सुभाष कश्यप (संसद सचिव), रज़िया जैदी (हॉकी खिलाड़ी) आदि कुछ ऐसे नाम हैं जो स्वयं प्रकाशमान हैं और अपनी ज्योति से पूरे समाज को आलोकित करने में समर्थ हैं।

वीरा चैरिटेबिल सोसायटी

शिक्षा के क्षेत्र में यह सोसायटी निरन्तर कार्यरत एक प्रतिष्ठित सोसायटी है। श्री रवि वीरा सेवानिवृत्त आई०ए०एस०, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता तथा सचिव श्री उदयन वीरा के प्रबन्धन में यह सोसायटी 9 शिक्षण संस्थाओं, नर्सरी से लेकर इन्टरमीडिएट (हिन्दी व अंग्रेजी), पी०जी० व इन्जीनियरिंग कॉलेज का सफल संचालन कर रही है।

हमारी प्रबन्ध समिति

- अध्यक्ष : श्री अशोक चन्द्रा, सेवानिवृत्त आई०ए०एस०
- सचिव : श्रीमती मुक्ता वीरा, प्रतिष्ठित, सुशिक्षित व समाजसेवी महिला
- कोषाध्यक्ष : श्री प्रवीन गुप्ता, सेवानिवृत्त डिस्टलरी मैनेजर
- सदस्य : श्री सुरेन्द्र सिंह विश्नोई, प्रतिष्ठित अधिवक्ता।
- सदस्य : श्री अमिताभ वीरा, पूर्व अध्यक्ष श्री इन्दुवीरा के सुयोग्य सुपुत्र, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान
- सदस्य : श्रीमती स्वाति वीरा, मास्टर ऑफ साइंस (फाइनेनशियल इकोनामिक्स) यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, लन्दन।
- सदस्य : श्रीमती सरोज गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या, के.पी.एस. कन्या इन्टर कालेज, बिजनौर, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त
- विशेष आमंत्रित सदस्य : श्री उदयन वीरा, सेक्रेट्री वीरा चैरिटेबिल सोसायटी।



महाविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य

1. महाविद्यालय की अनुभवी एवं सुशिक्षित शिक्षिकाओं द्वारा छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण, नयी शिक्षण तकनीकी के साथ उनका सर्वांगीण विकास करना।
2. शोध छात्राओं को विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार शोध निर्देशन प्रदान करना।
3. अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सहयोग, जागरूकता, जैसे नैतिक मूल्यों की स्थापना द्वारा छात्राओं का चारित्रिक विकास करना।
4. छात्राओं तथा पूर्व एवं वर्तमान में सेवारत शिक्षकों के लिये बी.एड. कार्यक्रम संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान करना।
5. छात्रा सहायता सेवा के लिये निर्देशन एवं परामर्श सेवा केन्द्र, ई-लर्निंग सेन्टर, पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा छात्रा समस्या निवारण इकाई की स्थापना करना।
6. छात्राओं तथा शिक्षिकाओं के शैक्षिक अद्यतन के लिये संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा अभिनवीकरण, विस्तार व्याख्यान तथा लघुकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
7. ज्वलंत विषयों जैसे-भाषा समस्या, जनसंख्या-विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण तथा एड्स महामारी आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये क्रियाकलापों का आयोजन करना।
8. छात्राओं के शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा अध्यात्मिक विकास के लिये प्रतियोगितायें तथा कार्यक्रम आयोजित करना।
9. छात्राओं की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिये उन्हें प्रेरित तथा प्रोत्साहित करना।
10. छात्राओं में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिये सामाजिक एवं धर्म निरपेक्ष मूल्यों का विकास करना।
11. छात्राओं में समानता की भावना जाग्रत करने हेतु धनी-निर्धन, गाँव-नगर की दूरी को समाप्त करना।
12. छात्राओं को प्रेरणा देने के लिये महाविद्यालय में देश भक्ति, भ्रातृत्व, अधिकार एवं कर्तव्य भाव, जबाबदेही की संस्कृति का विकास करना।
13. छात्राओं में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक ज्ञान तथा बोध का विकास करना।
14. प्रतिदिन प्रार्थना सभा में उद्बोधन एवं विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा छात्राओं को देश का जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देना।
15. छात्राओं में सृजनशील वैज्ञानिक सोच विकास के लिये प्रदर्शनी तथा विशेष व्याख्यान आयोजित करना।
16. छात्राओं के चरित्र निर्माण तथा जीवन की गुणवत्ता वृद्धि के लिये उनमें सशक्त मानव मूल्यों जैसे-स्व-अनुशासन, आत्मनिर्भरता, प्रेम, अहिंसा आदि का निर्माण करना।
17. सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये नये अवसर प्रदान करना।
18. छात्र संघ, शिक्षक-अभिभावक समिति, भूतपूर्व छात्रा समिति आदि की आंतरिक गुणवत्ता सुधार समिति के साथ बैठक का आयोजन करना।

संस्था का परिचय

स्व० धर्मवीर जी, स्व० कुँवर कान्तिवीर जी एवं स्व० कुँवर सत्यवीर जी ने अपनी पूजनीया माता जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर की नींव रखी। यह महिला महाविद्यालय मेरठ मार्ग पर स्थित है। यह स्थान सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त, हरियाली एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है, इसका शिलान्यास 1971 में आगरा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति माननीय शीतल प्रसाद जी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। उस समय यह महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। वर्तमान में यह एम०जे०पी० रुहलेखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध है। मात्र 14 छात्राओं से प्रारम्भ हुआ यह महाविद्यालय प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

वर्तमान में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अँग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला, एवं संगीत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, समाजशास्त्र (सरकार द्वारा अनुदानित) तथा गृह विज्ञान, चित्रकला, उर्दू, अँग्रेजी, तथा राजनीति शास्त्र (स्ववित्तपोषित के अन्तर्गत) में शिक्षण कार्य हो रहा है। सत्र 2007-08 से बी०एड० संकाय में भी कक्षाएँ प्रारम्भ हो गई हैं।

शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए बी.एस-सी. होम साइंस, फैशन डिजाइनिंग, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, मूर्तिकला जैसे छमाही डिप्लोमा कोर्स एवं एक वर्षीय डिप्लोमा इन मास कम्प्यूटेशन एवं मीडिया टैक्नीक, पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एवं ट्रेवल्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टैक्सटाइल डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसे अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं। अँग्रेजी में वार्तालाप करने की कला सिखाने के लिये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कक्षाएँ भी चल रही हैं। सत्र 2012-13 से बी.सी.ए. की कक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी हैं।

महाविद्यालय के पास पर्याप्त भवन है जिसमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा व्याख्यान कक्षों की समुचित व्यवस्था है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु व्यवस्थित एवं पूर्णरूप से सुसज्जित एक विशाल और भव्य भवन भी है। महाविद्यालय में सुयोग्य शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी हैं। इसका प्रबन्धन कुशल प्रबंध समिति के हाथों में सुरक्षित है। कुशल प्रशासक, विनम्र उदार एवं सहयोगी, महाविद्यालय की उन्नति के आकांक्षी श्री अशोक चन्द्रा जी प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सौम्य, विदुषी और मृदुभाषी श्रीमती मुक्तवीरा जी समिति की सचिव हैं। कुशल प्रबन्धन एवं उत्तम शिक्षण के कारण यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

प्रयोगशाला

रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर में अनेक सुसज्जित प्रयोगशालायें जैसे-विज्ञान प्रयोगशाला, गृहविज्ञान प्रयोगशाला, टैक्सटाइल प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षा तकनीकी प्रयोगशाला, ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रयोगशाला, ई-लर्निंग प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला इत्यादि छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं प्रायोगिक ज्ञान के लिये उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान, प्रबन्धन एवं अभिभावकों के सहयोग से निर्मित पुस्तकालय भवन है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा के साथ सभी विषयों पर पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। छात्राएँ घर पर भी बैठकर डिजिटल लाइब्रेरी से लाभ उठा सकती हैं। पुस्तकें छात्राओं को कम्प्यूटर के माध्यम से निर्गत की जाती हैं। महाविद्यालय में हिन्दी, अँग्रेजी एवं उर्दू समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं और छात्राओं के लिये वाचनालय में पूरे दिन सुलभ रहती हैं। हमारे पुस्तकालय में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स हैं, जो छात्राओं के ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

छात्रवृत्तियाँ

केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक जाति एवं सामान्य जाति की छात्राओं को उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्तियों का वितरण महाविद्यालय द्वारा कराया जाता है। इसके लिये छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन-पत्र ऑनलाइन कराकर उसकी हार्डकापी, जाति



प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र (6 माह की अवधि में बना) कार्यालय में समय पर जमा कराएँ एवं अपना बचत खाता पंजाब नेशनल बैंक के एक्सटेंशन काउंटर आर0बी0डी0 में खुलवाएँ तथा उसके प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति के साथ संलग्न करें। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त उर्दू अकादमी और संस्कृत अकादमी द्वारा मेधावी छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

युवा छात्राओं को ग्रामीण परिवेश से जोड़ने एवं समाज के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ महाविद्यालय में कार्यरत हैं जिनमें सामान्य कार्यक्रम शिविर एवं विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। विशेष शिविर के 10 अंक एवं सामान्य कार्यक्रम के 5 अंक अभ्यर्थी को प्राप्त होते हैं।

पुरस्कार, पदक एवं प्रमाण-पत्र

शिक्षा एवं शिक्षणेतर क्रियाकलापों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। वीरा चैरिटेबिल सोसायटी, बिजनौर द्वारा प्रतिवर्ष महाविद्यालय की सर्वाच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा एवं महाविद्यालय की सर्वोत्तम खिलाड़ी को रजत पदक प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष जो छात्राएँ कक्षा में नियमित उपस्थित रहेंगी व सदैव यूनिफार्म में आएँगी तथा पूर्णतया अनुशासित होंगी, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। सभी विषयों की सभी कक्षाओं में सर्वाच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। विविध शिक्षणेतर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

सेमिनार, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएं

महाविद्यालय में उच्च शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु समय-समय पर स्थानीय, जनपदीय, विश्वविद्यालयी एवं अन्तर विश्वविद्यालयी स्तर पर सेमिनार, संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

चिकित्सा सुविधा

महाविद्यालय की छात्राओं के लिए चिकित्सा सुविधा हेतु एक हेल्थ केयर यूनिट है जिसमें समय-समय पर योग्य चिकित्सकों द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। प्रत्येक छात्रा को मेडिकल कार्ड बनवाना अनिवार्य है। जिसमें उसकी ऊँचाई, वजन, ब्लड ग्रुप आदि का विवरण अंकित होगा। शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। छात्राओं द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने के साथ ही मेडिकल कार्ड पर शारीरिक शिक्षा विभाग में हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

पार्किंग

वाहन से आने वाली छात्राओं के लिए पार्किंग की सुविधा है। सभी संस्थागत छात्राओं को अपना वाहन महाविद्यालय में निर्धारित स्थल पर खड़ा करना अनिवार्य है।

परिषद एवं क्रियाकलाप

महाविद्यालय में छात्राओं में अभिरुचियों को विकसित करने हेतु परिषद (विषयवार) का गठन किया जाता है जैसे हिन्दी साहित्य परिषद, संस्कृत परिषद, आंग्ल भाषा परिषद, समाजशास्त्र परिषद, राजनीति विज्ञान परिषद, गृहविज्ञान परिषद, चित्रकला परिषद, उर्दू परिषद जिसमें सम्बन्धित विषय के सभी विद्यार्थी परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक परिषद अपने से सम्बन्धित विषयों पर भाषण, वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिताओं एवं विचार-गोष्ठियों आदि का आयोजन करती है।



अनुशासन समिति

महाविद्यालय का उद्देश्य छात्राओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए एक अनुशासन प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। इसी के अन्तर्गत छात्राओं के स्तर पर चीफ प्रीफैक्ट्स व प्रीफैक्ट्स का चुनाव किया जाता है।

छात्रा-समस्या निवारण समिति

महाविद्यालय में छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय के शिक्षण एवं प्रशासन से संबंधित सभी शिकायतों पर विचार कर उनका त्वरित एवं समुचित निवारण सुनिश्चित करना है।

विविध समितियाँ

महाविद्यालय पत्रिका समिति—महाविद्यालय में विभागीय पत्रिकाओं का प्रकाशन निरन्तर होता रहा है। इसके साथ ही महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी यथासमय होता है, जिसमें प्रवक्ताओं एवं छात्राओं के लेख, कहानी, कविताएँ आदि प्रकाशित होते हैं। इसका सम्पादन पत्रिका समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रवक्ताओं के साथ-साथ छात्राएँ भी सम्मिलित होती हैं।

पुरातन छात्रा समिति—महाविद्यालय में पुरातन छात्राओं की समिति का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भूतपूर्व छात्राओं और वर्तमान छात्राओं तथा महाविद्यालय प्रशासन के मध्य निरन्तर सम्पर्क एवं अद्यावधि उपलब्ध जानकारी से परिचय कराना है।

शोध-समिति—महाविद्यालय के स्नातक एवं सभी स्नातकोत्तर विभागों में अनुसंधान एवं योजनाओं के विस्तार हेतु एक शोध-समिति का गठन किया गया है। शोध-सम्बन्धी परामर्श देना, तत्सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी कराना एवं छात्राओं में अनुसंधान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

शैक्षिक नवाचार समिति—महाविद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता में निरन्तर सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया है। जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों का अधुनातन शैक्षिक प्रणालियों से परिचय कराना है।

सांस्कृतिक समिति—महाविद्यालय में सांस्कृतिक समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजन में वर्ष भर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्राओं का बहुमुखी विकास कर उनमें सांस्कृतिक चेतना जागृत करना है।

छात्रा-अभिभावक समिति—छात्राओं की समस्या व आवश्यकता को जानने हेतु शिक्षित एवं गणमान्य अभिभावकों की समिति का गठन किया जाता है।

अन्य समितियाँ—महाविद्यालय में प्रशासन, शिक्षण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया है जिनमें समय-सारिणी, पुस्तकालय-व्यवस्था, वित्त-व्यवस्था, कार्यशाला-आयोजन, सामान्य सूचना, विवरण पत्रिका, प्रशासनिक संबंधी आदि समितियाँ सम्मिलित हैं।

करियर गाइडेन्स एण्ड प्लेसमेंट सेल

महाविद्यालय में करियर गाइडेन्स एण्ड प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से छात्राओं को भावी शिक्षा और व्यावसायिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। छात्राओं को शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयुक्त अवसरों की जानकारी देने के साथ ही रोजगार भी प्रदान कराया जाता है।

आन्तरिक मूल्यांकन

महाविद्यालय में छात्राओं की परीक्षा विषयक सम्यक तैयारी हेतु प्रतिमाह यूनिट टेस्ट व जनवरी माह में आन्तरिक परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। यूनिट टेस्ट के बाद उपचारात्मक कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं।



महाविद्यालय के विभिन्न विभाग

हिन्दी विभाग

महाविद्यालय के स्थापना वर्ष से ही अस्तित्व में आए हिन्दी विभाग का उद्देश्य भाषा और साहित्य के माध्यम से सौन्दर्य बोधक व्यावहारिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। स्नातक स्तर पर ऐच्छिक व मूलभूत पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभाग विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत कई संगोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती हैं। विभाग में राष्ट्रीय ख्याति के कई साहित्यकारों कुँवर बेचन, नरेन्द्र मोहन, अशोक वाजपेयी आदि को समय-समय पर आमंत्रित किया जाता रहा है। हिन्दी साहित्य परिषद हिन्दी दिवस तथा राष्ट्रीय महत्व के दिन पर विभिन्न नाटक, कवि सम्मेलन तथा भारतीय साहित्य के प्रख्यात विद्वानों के व्याख्यान आयोजित करती है। प्रतिवर्ष हिन्दी में मौलिक लेखन हेतु प्रतिभावान छात्रा को श्री कृष्णचन्द्र स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। विभाग शोधकेन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

समाजशास्त्र विभाग

महाविद्यालय की सम्बद्धता के समय से ही यह विभाग स्थापित है। स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ ही यह विभाग विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है 25 से अधिक शोधार्थियों ने महिला अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र, राजनैतिक समाजशास्त्र तथा सामयिक सामाजिक मुद्दों पर शोधकार्य किया है। विभाग की शिक्षिकाएँ विश्वविद्यालय में भी अनेक समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। विभाग द्वारा यू.जी.सी. द्वारा अनुदानित एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी पूरा किया जा चुका है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं समाजशास्त्र विषयक अभिवृत्ति विकसित करने हेतु अनेक प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं एवं सर्वेक्षण आदि का आयोजन कराया जाता है।

संस्कृत विभाग

इस विभाग से कई ख्याति प्राप्त विद्वानों की सम्बद्धता रही है। लौकिक एवं वैदिक संस्कृत साहित्य अध्ययन पाठ्यक्रम चलाया जाता है। विभाग में उच्च स्तरीय शोध भी जारी है। वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, काव्य और नाटक विषयक अनुसंधान विभाग में चल रहे हैं। यह संभवतया संस्कृत शिक्षा की वैज्ञानिकता का प्रमाण है कि इस विभाग की छात्राओं ने सम्मान सहित अंक प्राप्त किये हैं। विभाग में समय-समय पर संगोष्ठियाँ व कार्यशालाएँ आयोजित होती रहती हैं। मेधावी छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्राप्त होती है।

उर्दू विभाग

महाविद्यालय में उर्दू विभाग की स्थापना सन् 1971 में बिजनौर जनपद में पहली बार हुई। इस स्थापना का उद्देश्य जिले में बहुतायत में प्रयोग होने वाली उर्दू भाषा की शिक्षा प्रदान करना है। विभाग उर्दू साहित्य और भाषा के निरंतर विकास में लगा हुआ है। इसके लिये समय-समय पर उर्दू पत्रिका प्रकाशन, मुशायरा आदि संचालित किये जाते हैं।

अंग्रेजी विभाग

अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसके ज्ञान के बिना आज के युग में प्रगति संभव नहीं है। अंग्रेजी विभाग की स्थापना भी महाविद्यालय के साथ-साथ ही हुई थी। महाविद्यालय में आने वाली अधिकाँश छात्राएँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं ऐसे में विभाग का प्रमुख उद्देश्य छात्राओं की अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ बनाना है जिससे वे व्यावसायिक प्रगति की ओर बढ़ सकें। विभाग अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से समर्पित है।

राजनीति शास्त्र विभाग

विभाग में राजनीति शास्त्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। पाठ्यक्रम विभिन्न राजनीतिक शास्त्र सिद्धान्त, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास पर आधारित हैं। विद्यार्थियों को

विश्लेषणात्मक कौशल के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में विभिन्न मामलों पर तुलनात्मक दृष्टि विकसित करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

गृहविज्ञान विभाग

गृहविज्ञान विभाग बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम चलाता है। जो गतिशील समाज में सफल गृह निर्माण की क्षमता और रुचि विकसित करने व व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता उत्पन्न करता है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को ऐसा ज्ञान व प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे वे आधुनिक समाज के संदर्भ में वैज्ञानिक तरीकों से सफल हो सकें। वर्तमान आवश्यकताओं और व्यावसायिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में छात्राओं में ऐसी क्षमताओं का विकास किया जाता है जो उन्हें विभिन्न मानवीय प्रणालियों, आहार, पोषण तथा पारिवारिक विषयों पर जानकारी देने में सक्षम हों। सत्र 2011-12 से बी.एससी. गृहविज्ञान का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हो चुका है।

शारीरिक शिक्षा विभाग

शारीरिक शिक्षा तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय है। इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्राओं को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे वे विषय में कैरियर बना सकें। विभाग विभिन्न खेल प्रतियोगितायें आयोजित करता रहता है तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किया जाता है।

चित्रकला विभाग

चित्रकला विभाग निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। छात्राओं को मौलिक दृष्टि, स्वनिर्देशन, तकनीकी ज्ञान तथा सृजनात्मक ऊर्जा के लिये प्रेरित किया जाता है। स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न कला क्षेत्रों जैसे-ड्राइंग, डिजाइन, पोर्ट्रेट, रंग संयोजन, जीवन अध्ययन, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, कला के मूल तत्व, विश्व कला के इतिहास तथा सौंदर्यशास्त्र की जानकारी दी जाती है। विभाग में दुर्लभ, पारम्परिक तथा आधुनिक मूल कलाकृतियों का विषद संग्रह है।

संगीत विभाग

वर्तमान में संगीत विभाग में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत विभाग की विशेष प्रतिभागिता रहती है। विभिन्न अवसरों जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, बंसत पंचमी, गाँधी जयंती आदि पर अनकों कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

अध्यापक शिक्षा विभाग

समाज का निर्माण शिक्षकों पर व शिक्षकों का निर्माण प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भविष्य के अनुरूप योग्य महिला शिक्षिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से महाविद्यालय में वर्ष 2007 में शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। विभाग में कैम्पस के प्लेसमेंट के द्वारा प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत छात्राओं का चयन होता है। शत-प्रतिशत छात्राएं रोजगार प्राप्त करने में सफल होती हैं। इसके अतिरिक्त पुरातन छात्रा संघ भी सक्रिय है जिसके अन्तर्गत छात्राओं द्वारा 'संचार' पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। पुरातन छात्रा पुस्तकालय भी संचालित है। भाषा प्रयोगशाला व डिजिटल लर्निंग में भी छात्राओं को पारंगत किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर सुधार की दृष्टि से यह विभाग अपने प्रारम्भिक काल से ही प्रयत्नशील है।

मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीक विभाग

प्रतिस्पर्धा के दौर में मीड से अलग पहचान बनाने में मीडिया का क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ रहा है। विभाग में एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है। विभाग छात्राओं को विषयात्मक, प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ ही कार्यक्षेत्र में उन्हें स्वावलम्बी बनाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रहा है। इस विभाग की छात्रायें महाविद्यालय के हर



उत्सव, समारोह में अपनी मासकॉम तकनीक और धारा प्रवाही भाषणों से एक नयी जान डाल देती हैं। विभाग की छात्राएँ आकाशवाणी, विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं तथा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में अपनी सेवायें दे रहीं हैं। विभाग में उपलब्ध अत्याधुनिक स्टूडियो तथा मीडिया उपकरणों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी गुणवत्ता प्रदान की जाती है।

इन्टीरियर डिजाइनिंग विभाग

बढ़ती जनसंख्या और मंगाई के बीच लोगों की व्यवस्थित, सुन्दर और सुरुचि पूर्ण ढां से रहने की आकांक्षा भी बढ़ी है। कम स्थान में सुविधापूर्वक रहने के विकल्प इन्टीरियर डिजाइनिंग से मिलते हैं। गृह सज्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता में इस क्षेत्र में असीमित अवसरों को जन्म दिया है। यह कलात्मक व तकनीकी गुणों का सम्मिश्रित क्षेत्र है। विभाग में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है जिसका उद्देश्य छात्राओं की सृजनात्मकता को तराश कर उत्कृष्ट इन्टीरियर डिजाइनर के रूप में स्थापित करना है।

टैक्सटाइल डिजाइनिंग विभाग

टैक्सटाइल डिजाइनिंग तेजी से उभरता क्षेत्र है जो मानव जीवन के विविध प्रयोजनों को पूरा करता है। विभाग का उद्देश्य रंग, कपड़े और बनावट के साथ प्रयोग कर नये डिजाइन और उत्पादन तकनीकों व वस्त्र प्रौद्योगिकी का अद्यतन ज्ञान प्रदान करना है। विभाग में संचालित एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से अपार सम्भावनाओं से भरे इस क्षेत्र के लिये प्रोफेशनल्स तैयार करना है जो निपुणता के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।

बी.सी.ए. विभाग

वर्तमान युग में कम्प्यूटर की महत्ता को देखते हुए महाविद्यालय में वर्ष 2012 से बी.सी.ए. का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत छात्राओं को वैश्वीकरण के युग में व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाना है। विभाग द्वारा छात्राओं को इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरी, कम्प्यूटर लैब की सुविधा के साथ ही समय-समय पर विचज कम्पटीशन व संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। विभाग में अर्द्धवार्षिक व वार्षिक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित है।

पर्यावरण शिक्षा विभाग

ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, पहले जल बनाया, प्रकृति बनाई, जीव-जन्तु बनाये फिर उसने इंसान बनाया। प्रकृति और मानव का साथ ऐसा है, जैसे दिल से धड़कन का। मनुष्य ने प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष किया, मित्र और सहयोगी बनकर अपनी आवश्यकताएँ पूरी की जिससे आज पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा गया है। यह विभाग छात्राओं को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिये प्रयासरत है। पर्यावरण शिक्षा, अनिवार्य विषय है जिसे बी.ए. की डिग्री प्राप्त करने के लिए पास करना अनिवार्य है।

इतिहास विभाग

महाविद्यालय में इतिहास विभाग में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित है। विभाग का उद्देश्य पुरातत्व वेत्ता, इतिहासकार, टूरिज्म के साथ ही विभिन्न संग्रहालयों में क्यूरेटर जैसी रोजगार की अपार सम्भावनाओं वाले इस क्षेत्र में छात्राओं को नवीनतम ज्ञान प्रदान करना है।

अर्थशास्त्र विभाग

अर्थ जगत पुरातन काल से ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। निरन्तर बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच आर्थिक जगत असीमित अवसर प्रदान कर रहा है। महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित है। विभाग का उद्देश्य विषयगत ज्ञान के साथ ही छात्राओं को बैंकिंग, फाइनेंस, प्रबन्धन, शेयर बाजार तथा बजट निर्माण आदि का प्रयोगात्मक परिचय प्रदान करना है।



अध्यापन के विषय

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित समस्त विषय तथा पी.जी. डिप्लोमा व डिप्लोमा कोर्स सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं।

स्नातक स्तर पर

अनिवार्य विषय

- (अ) सामान्य हिन्दी अथवा सामान्य अंग्रेजी-बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष
(ब) पर्यावरण-बी.ए. प्रथम वर्ष
(स) शारीरिक शिक्षा-बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

वैकल्पिक विषय

वित्तपोषित विषय:-हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला, उर्दू, संस्कृत व संगीत,

स्ववित्त पोषित:-इतिहास, अर्थशास्त्र

स्नातक स्तर पर अन्य विषय

बी.एड., बी.एससी. गृहविज्ञान (त्रिवर्षीय कोर्स), बी.सी.ए. (त्रिवर्षीय कोर्स)

स्नातकोत्तर स्तर पर विषय

वित्तपोषित विषय (सरकार द्वारा अनुदानित):-हिन्दी, समाजशास्त्र

स्ववित्तपोषित (स्थायी सम्बद्धता प्राप्त):-राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला, उर्दू एवं अंग्रेजी

एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त)

1. पी.जी. डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीक
2. डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग
3. डिप्लोमा इन टैक्सटाइल डिजाइनिंग

छमाही सर्टिफिकेट कोर्स:

इन्टीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, मूर्तिकला एवं कम्प्यूटर।

तिमाही प्रशिक्षण कोर्स:

कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर

प्रत्येक छात्रा के लिए कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

साहित्य के चारों विषय (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू) में छात्रा के पास पाठ्य पुस्तकों का होना अनिवार्य है। अतः इन विषयों का चयन करने वाली छात्राएं प्रवेश फार्म पर प्रवेश समिति के हस्ताक्षर कराने के लिये इन विषयों की पाठ्य पुस्तकों साथ लेकर आयें।



दूरस्थ शिक्षा का केन्द्र (इग्नू)

महाविद्यालय इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का दूरस्थ शिक्षा का अध्ययन केन्द्र भी है, जहाँ पत्राचार के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। इग्नू के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में बी.ए. स्तर तथा एम.ए. स्तर पर महाविद्यालय की छात्राएँ संस्थागत कोर्स करते हुए भी (एक साथ दो कोर्स) कर सकती है। महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की सूची निम्न प्रकार है:-

पाठ्यक्रम

शुल्क

स्नातक ग्रेजुएट (स्तर पर)

1. स्नातक उपाधि प्रारम्भिक कार्यक्रम (बी.पी.पी.)	रु० 1000.00 (6 माह)
2. कला स्नातक (बी.ए.) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम	रु० 2000.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 2000.00 (द्वितीय वर्ष)
	रु० 2000.00 (तृतीय वर्ष)
3. वाणिज्य स्नातक (बी.काम.) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम	रु० 2000.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 2000.00 (द्वितीय वर्ष)
	रु० 2000.00 (तृतीय वर्ष)
4. सामाजिक कार्य में स्नातक (बी.एस.डब्ल्यू.) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम	रु० 4000.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 4000.00 (द्वितीय वर्ष)
	रु० 4000.00 (तृतीय वर्ष)
5. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.)	रु० 5000.00 (एक वर्ष)

स्नातकोत्तर (पी.जी.) स्तर पर

1. एम.ए. हिन्दी (एम.एच.डी.) द्वितीय वर्ष	रु० 4500.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 4500.00 (द्वितीय वर्ष)
2. एम.ए. लोक प्रशासन (एम.पी.एस.)	रु० 4500.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 4500.00 (द्वितीय वर्ष)
3. एम.एससी. परामर्श एवं परिवार उपचार (सी.एफ.टी)	रु० 14,000.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 14,000.00 (द्वितीय वर्ष)
4. एम.ए. अर्थशास्त्र (एम.ई.सी.)	रु० 6000.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 6000.00 (द्वितीय वर्ष)
5. एम.ए. ग्राम विकास (एम.ए.आर.डी.)	रु० 4500.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 4500.00 (द्वितीय वर्ष)
6. एम.कॉम द्वितीय वर्षीय	रु० 5500.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 5500.00 (द्वितीय वर्ष)
7. एम.ए. इतिहास (एम.ए.एच.)	रु० 4500.00 (प्रथम वर्ष)
	रु० 4500.00 (द्वितीय वर्ष)

डिप्लोमा कार्यक्रम के अन्तर्गत

1. जर्नलिज्म एवं मास कॉम में पी.जी. डिप्लोमा (पी.जी.जे.एम.सी.)	रु० 3500.00 (एक वर्ष)
1. ग्राम विकास में पी.जी. डिप्लोमा (पी.जी.डी.आर.डी.)	रु० 2000.00 (एक वर्ष)
2. महिला सशक्तीकरण एवं विकास में डिप्लोमा (डी.डब्ल्यू.ई.डी.)	रु० 3000.00 (एक वर्ष)
3. पोषण स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एन.एच.ई०)	रु० 2000.00 (एक वर्ष)

सर्टिफिकेट कार्यक्रम के अन्तर्गत

1. पर्यावरण अध्ययन में सर्टिफिकेट (सी.ई.एस.)	रु० 2000.00 (6 माह)
2. भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट (सी.एफ.एन.)	रु० 1100.00 (6 माह)
3. मानव अधिकार में सर्टिफिकेट (सी.एच.आर.)	रु० 2000.00 (6 माह)
4. मार्गदर्शन में सर्टिफिकेट (सी.आई.जी.)	रु० 1100.00 (6 माह)
5. इग्नू बी.एड.	- (2 वर्षीय)

नोट:-महाविद्यालय में इग्नू के उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की कक्षाएँ रविवार के दिन प्रातः 10 बजे से 2:00 बजे तक संचालित की जाती है।



प्रवेश के नियम

1. चार साहित्य (साहित्य हिन्दी, साहित्य अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) में छात्राएं अधिकतम दो साहित्य ले सकती हैं।
 2. तीन प्रयोगात्मक में से छात्राएं अधिकतम एक ही विषय ले सकती हैं।
 3. विकलांग छात्राओं को विकलांग प्रमाण-पत्र जमा करने पर ही शारीरिक शिक्षा विषय नहीं लेना होगा।
 4. स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र विषय में प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट स्तर पर 60% अंक अनिवार्य है।
 5. स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य विषय में प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय में 45% अंक अनिवार्य है।
 6. बी.ए. तृतीय वर्ष में सामान्य हिन्दी अथवा सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर अन्य तीन विषयों में से दो ही विषय चुने जा सकते हैं। बी.ए. तृतीय वर्ष में छात्रा एक विषय ऐसा अवश्य चुने, जिसमें वह एम.ए. करने की इच्छुक हो।
 7. बी.ए. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अपने विषयों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
 8. प्रत्येक विषय में अधिकतम 200 छात्राओं को एवं गृह विज्ञान विषय में अधिकतम 250 छात्राओं को ही प्रवेश वरीयता सूची के आधार पर दिया जाएगा।
 9. बी.ए. प्रथम वर्ष में पर्यावरण विषय लेना अनिवार्य है। प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बी.ए.द्वितीय वर्ष में तथा द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होने पर तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
 10. बी.ए. द्वितीय वर्ष में अंग्रेजी साहित्य में 45 प्रतिशत अंक लाने वाली इच्छुक छात्रा को ही बी.ए. तृतीय वर्ष में अंग्रेजी साहित्य दिया जायेगा। अंग्रेजी साहित्य के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना अनिवार्य है।
 11. बी.ए. प्रथम वर्ष एवं एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने की इच्छुक छात्राओं को पूर्व की कक्षा के उत्तीर्ण वर्ष से तीन वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
 12. डिप्लोमा इन टैक्सटाइल तथा डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग में प्रवेश के लिए इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पी. जी. डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन एवं टूरिज्म एण्ड ट्रेवल्स मैनेजमेंट में प्रवेश हेतु बी.ए. में 45% अंक होना अनिवार्य है।
 13. बी.ए. तृतीय वर्ष, एम.ए. पूर्वाह्न एवं उत्तराह्न की छात्राओं को सर्वांगीण विकास-प्रक्रिया के तहत महाविद्यालय में संचालित मास कॉम, इन्टीरियर डिजाइनिंग, टैक्सटाइल डिजाइनिंग तथा इग्नू पाठ्यक्रम में से कोई एक विषय लेना अपेक्षित है।
- नोट: डिप्लोमा से सम्बन्धित विषय के साथ इन्टरमीडिएट/समकक्ष उत्तीर्ण हो। नॉन स्ट्रीम योजना के अन्तर्गत उसे डिप्लोमा में सीधे प्रवेश दिया जा सकता है।
बी.ए. तथा एम.ए. की कक्षा के साथ छात्राएं इन कोर्स को कर सकती हैं। इस प्रकार वे एक वर्ष में दो कोर्स एक साथ उत्तीर्ण कर सकती हैं।

उपस्थिति सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. प्रयोगात्मक विषय में उपस्थिति शत-प्रतिशत होनी अनिवार्य है।
2. प्रत्येक माह के अन्त में 75% उपस्थिति अनिवार्य है जिसकी सूचना माह के अन्त में विश्वविद्यालय व शासन को भेजी जाएगी।
3. 75% से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।

प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश हेतु आवश्यक नियम

1. विवरणिका को अच्छी तरह पढ़ने के उपरान्त यदि आप प्रवेश नियमों के अन्तर्गत अर्हता रखते हैं तो भी आप अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा करें।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (विवरण पत्रिका सहित) महाविद्यालय के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
3. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को साफ-साफ भरकर स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (T.C) की मूल प्रति, हाईस्कूल एवं इन्टर परीक्षा की अंकतालिका, अंतिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा अन्तराल की दशा में कुलसचिव के नाम शपथ-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र भारत के लिए प्रमाण-पत्र तथा विकलांग की दशा में विकलांग होने का प्रमाणपत्र संलग्न कर निर्दिष्ट कार्यालय सहायक के पास निर्धारित तिथि और समय के अन्दर जमा कर दें। जिस कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुल्क जमा किया है, उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
4. बी.ए. प्रथम वर्ष में विषयों का आबंटन सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
5. यदि बी.ए. प्रथम वर्ष के किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने अंक पत्रों की सत्य प्रतिलिपि एवं माँगे गए अन्य प्रपत्र किसी कारणवश आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए जाते हैं तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेगा।
6. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् कोई भी प्रवेश आवेदन पत्र जमा नहीं किया जाएगा।



7. योग्यता-सूची निर्गत होने के तुरन्त पश्चात् संबंधित प्रवेशार्थी प्रवेश समिति को मूल प्रमाण-पत्र दिखाकर संयोजक प्रवेश समिति/प्राचार्या से हस्ताक्षर कराने के बाद तुरन्त निर्धारित अवधि में ही कुल शुल्क जमा करेंगे। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में उनका प्रवेश-अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा और प्रतीक्षा सूची में से यथानियम प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
8. महाविद्यालय की द्वितीय, तृतीय एव एम.ए. उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में प्रवेश की इच्छुक छात्राएँ पूर्व परीक्षा की अंकतालिका सहित निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें।
9. प्रवेश फार्म जमा करने के साथ छात्राएँ आई.कार्ड तथा मैडिकल कार्ड प्राप्त करें। आई. कार्ड भरकर 20 जुलाई से चीफ प्रॉक्टर से हस्ताक्षर कराकर बैज प्राप्त करें। मैडिकल कार्ड शारीरिक शिक्षा विभाग में हस्ताक्षरित कराएँ।
10. छात्रवृत्ति की इच्छुक छात्राएँ निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति फार्म आय प्रमाणपत्र के साथ ऑन लाइन तथा हार्ड कॉपी में जमा करें।
11. राष्ट्रीय सेवा योजना की इच्छुक छात्राएँ 20 जुलाई से 25 जुलाई तक फार्म प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. यदि छात्रा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रवेश नियमों व मानकों के विपरीत प्रवेश प्राप्त कर लेती है या प्रवेश नियमों व मानकों के विपरीत प्रवेश समिति की मूल से उसे प्रवेश दे दिया जाता है तो उसकी जानकारी मिलने पर बिना किसी पूर्व सूचना के महाविद्यालय द्वारा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि इस कृत्य का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्रा का होगा तथा प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
2. बी.ए. प्रथम वर्ष एवं एम.ए. पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु छात्रा को प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत होना होगा तथा अपने सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र मूलरूप से दिखाने होंगे।
3. छात्रा को अपने आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ सही एवं स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी। भ्रामक सूचनाएँ देने पर छात्रा के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
4. प्रवेश परीक्षा फार्म सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के लिए छात्रा को नोटिस बोर्ड देखना होगा। छात्रा को प्रवेश परीक्षा फार्म से सम्बन्धित सूचना नोटिस बोर्ड पर ही दी जाएगी। सूचना के अभाव में यदि किसी छात्रा को कोई हानि पहुँचती है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगी।

प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन नोटिस बोर्ड देखना अनिवार्य है।

कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाएं-

5. परीक्षा फार्म अथवा किसी भी प्रकार का शुल्क कार्यालय में जमा करने पर छात्रा रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। छात्रा स्वयं परीक्षा फार्म एवं प्रवेश शुल्क कार्यालय में जमा करेंगी।
6. कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए दोपहर 1 बजे के पश्चात् ही सम्पर्क किया जाए।
7. कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड की सूचना के अनुसार ही कार्य के लिए निर्देशित कर्मचारी से सम्पर्क करें।

शुल्क विवरण

प्रवेश शुल्क का विवरण :

(1) व्यवस्था निधि शुल्क

	रु. वार्षिक
1. प्रवेश शुल्क	3.00
2. प्रवेश पंजीकरण शुल्क	1.00
3. मँहगाई शुल्क	42.00
4. चित्रकला	240.00
5. गृहविज्ञान	240.00
6. संगीत	240.00
7. पंखा	300.00

(2) छात्र निधि

1. पुस्तकालय शुल्क	100.00
2. पत्रिका	80.00
3. चिकित्सा	24.00
4. गृह परीक्षा	75.00



5. पुस्तकालय सुरक्षित धनराशि	15.00
6. बी.ए. की वि.वि. परीक्षा शुल्क (बिना प्रयोगात्मक)	800.00
7. बी.ए. की वि.वि. परीक्षा शुल्क (प्रयोगात्मक सहित)	1000.00
8. एम.ए. पूर्वाह्न की वि.वि. परीक्षा शुल्क	1000.00
9. एम.ए. उत्तराह्न की वि.वि. परीक्षा शुल्क (मौखिकी सहित)	1200.00
10. उपाधि शुल्क	300.00
11. वाचनालय	40.00
12. क्रीड़ा	150.00
13. परिचय पत्र	20.00
14. छात्र परिषद्	20.00
15. छात्र कल्याण	40.00
15. वार्षिकोत्सव	100.00
17. विविध शुल्क	50.00
18. साईकिल स्टैण्ड शुल्क	100.00
19. निर्धन छात्र	40.00
20. नामांकन	200.00
21. गृह विज्ञान/चित्रकला/संगीत भार	50.00

(3) विकास निधि

विकास शुल्क	50.00
-------------	-------

कुल शुल्क

1. वित्तपोषित विषयों का शुल्क

स्नातक स्तर	बी.ए. प्रथम	बी.ए. द्वितीय	बी.ए. तृतीय
1. बिना प्रयोगात्मक विषय	2250.00	2035.00	2335.00
2. एक प्रयोगात्मक विषय सहित	2740.00	2525.00	2825.00

स्नातकोत्तर स्तर

1. पूर्वाह्न हिन्दी, समाजशास्त्र	रु.	2235.00
उत्तराह्न हिन्दी, समाजशास्त्र		2735.00

2. स्ववित्तपोषित विषयों का शुल्क

1. पूर्वाह्न व उत्तराह्न राजनीतिशास्त्र (स्ववित्त पोषित)	5000.00
2. पूर्वाह्न व उत्तराह्न उर्दू (स्ववित्त पोषित)	5000.00
3. पूर्वाह्न व उत्तराह्न अँग्रेजी (स्ववित्त पोषित)	5000.00
4. बी.एड. शुल्क	शुल्क शासनादेशानुसार
5. बी.एस.सी. गृहविज्ञान	15000.00
6. एम.एस.सी. गृह विज्ञान	30000.00
7. बी.सी.ए.	20000.00
8. पत्रकारिता व जनसंचार में पी0जी0 डिप्लोमा	10000.00
9. इन्टीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा	8000.00
10. टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा	8000.00

नोट:- रु0 वि0वि0 एवं शासन के आदेशानुसार प्रवेश शुल्क आदि में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। वित्तपोषित पाठ्यक्रम में परीक्षा शुल्क प्रवेश के समय ही लिया जाएगा। यदि कोई छात्रा सत्र के दौरान 15 सितम्बर से पूर्व कालेज छोड़ने की सूचना नहीं देती है और उसने कॉलेज की एक भी कक्षा में उपस्थिति नहीं दी है तो उसका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में परीक्षा शुल्क फार्म भरने के समय लिया जायेगा।

बी.ए.प्रथम वर्ष की छात्राओं से कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क 500/- वार्षिक



अन्य शुल्क

1. चिकित्सा कार्ड शुल्क	20.00
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र-शुल्क	10.00
3. चरित्र प्रमाण-पत्र-शुल्क	10.00
4. लघु शोध प्रबन्ध-शुल्क	100.00
5. पी.एच-डी रजिस्ट्रेशन एवं पुस्तकालय शुल्क	1250.00 + 250.00 (सुरक्षित धनराशि)

नोट:-

- (1) नामांकन शुल्क मात्र उन छात्राओं से लिया जायेगा जो पहली बार एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेंगी तथा पुस्तकालय प्रतिभूति धनराशि महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्रा से एक बार ही ली जायेगी।
- (2) यदि कोई छात्रा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात् तक अपनी प्रतिभूति राशि वापिस लेने का आवेदन नहीं करती है तो यह राशि शासनादेश पत्रांक 5125/15.11.86.874ए (45) 85, शिक्षा 11 अनुभाग दिनांक 10.06.1996 के अनुसार कालातीत मानी जाएगी।
- (3) यदि विश्वविद्यालय/शासन से कोई शुल्क बढ़ता है तो उसके अनुसार ही छात्रा से शुल्क लिया जायेगा।

प्रतिभूति धनराशि/छात्रवृत्ति/शुल्क मुक्ति

गत वर्षों में जमा धनराशि की वापसी के लिए प्रत्येक सत्र में कार्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर 31 दिसम्बर तक कार्यालय में जमा करना होगा। धनराशि बैंक द्वारा जून मास तक वापिस कर दी जायेगी।

1. छात्रवृत्ति फार्म शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन भरना अनिवार्य होगा। छात्रा को रु. 10 के स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा कि छात्रा ने एक ही छात्रवृत्ति का फार्म भरा है।

नोट:-मेधावी छात्राओं को 250/-मात्र की छात्रवृत्ति पुस्तकों के रूप में दी जायेगी। निर्धन छात्राओं को छात्र सहायता कोष से प्रवेश शुल्क में सहायता दी जा सकती है।

2. निर्धन छात्रा कोष से शुल्क मुक्ति तथा छात्र सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही कार्यालय से प्राप्त होंगे व जमा करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त होगी।
3. शुल्क मुक्ति के आवेदनों पर शासन से प्राप्त आदेशों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।
4. कॉलेज से केवल एक बार ही चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी.सी. दिया जायेगा। टी.सी. व सी.सी. की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शपथ-पत्र देना होगा।
5. चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना-पत्र चीफ प्रोक्टर से अग्रसारित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. कोई भी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रार्थना-पत्र जमा करने के तीन दिन बाद ही मिल सकेगा।

परिचय-पत्र

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र पर यथास्थान अपना नवीनतम चित्र चिपकाकर सुरक्षित रखना होगा, जिसे महाविद्यालय के अधिकारी के माँगने पर प्रस्तुत करना होगा। बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय परिसर में घूमना वर्जित है। जिन छात्राओं के पास परिचय पत्र नहीं होगा, उन्हें महाविद्यालय कार्यालय, पुस्तकालय, क्रीड़ा विभाग द्वारा विविध सुविधाएँ दिए जाने में मना किया जा सकता है। कक्षा में प्रविष्ट छात्राओं को प्रवेश शुल्क जमा करने के तुरन्त बाद परिचय पत्र प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लेना अनिवार्य है। अपूर्ण परिचय पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। परिचय-पत्र के आधार पर सम्बन्धित प्राध्यापक अपनी ब्याख्यान पंजिका में छात्रा का नाम अंकित कर सकेंगे। परिचय पत्र खो जाने पर रु0 50/- शुल्क जमा करके परिचय पत्र बनाया जा सकता है। छात्राएं प्रवेश शुल्क जमा करने के साथ ही परिचय पत्र संबंधित प्रवक्ता के पास जमा करें। संबंधित प्रवक्ता का उल्लेख प्रोक्टर ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा।



सामान्य निर्देश

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमावली में संशोधन यथारूप में मान्य होंगे।

1. प्रवेश के बाद बी.ए. प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं की प्रवेश बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें महाविद्यालय एवं समस्त विषयों से सम्बन्धित जानकारी दी जाएगी। बैठक में सभी छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. छात्राओं की महाविद्यालय में उपस्थिति प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक अनिवार्य होगी।
4. छात्राओं को सत्र में दिये कुल व्याख्यानों में से प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। प्रयोगशाला कार्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी छात्रा की उपस्थिति निश्चित प्रतिशत से कम होगी तो उसे विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
5. छात्राओं को चाहिए कि वह आत्मानुशासन का पालन करें। विद्यालय के प्रांगण में शोरगुल करते हुए घूमना अध्ययन कक्षाओं के आसपास घूमना तथा बात करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति जैसे पुस्तक, फर्नीचर, भवन, और मैदान आदि को क्षति पहुँचाने पर अर्थदण्ड दिया जा सकता है।
7. छात्राओं से आशा की जाती है कि वे अपने गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार एवं मर्यादापूर्वक व्यवहार करें।
8. छात्राएँ अपने व्यवहार, आचरण और वेशभूषा में स्वच्छता व शिष्टता को अपनाएँ। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, सेमिनार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें।
9. छात्राओं का महाविद्यालय के बैज एवं यूनिफार्म में आना तथा परिचय-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि छात्रा यूनिफार्म में नहीं आती है तो उसे आर्थिक दण्ड दिया जाएगा।
10. शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक कक्षाओं में ट्रेक सूट में रहना अनिवार्य है।
11. यदि कोई छात्रा सत्र के बीच महाविद्यालय छोड़ती है तो उसे महाविद्यालय छोड़ने की सूचना लिखित रूप में एक प्रार्थना-पत्र द्वारा प्राचार्या को देनी होगी।
12. छात्राएँ अपने वाहन अथवा साईकिल निर्धारित स्थल पर ही खड़ा करेंगी।
13. छात्राएँ अस्वस्थ होने पर प्रार्थना-पत्र देकर अवकाश लेंगी। 15 दिन से अधिक लम्बी बीमारी का मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगी।
14. मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियाँ तथा शुल्क आदि से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ समय-समय पर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। अतः छात्राएँ प्रतिदिन सूचना-पट (नोटिस बोर्ड) अवश्य देखें। छात्राएँ परिचय-पत्र दिखाकर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित चिकित्सक से परामर्श ले सकती हैं।
15. समस्त संस्थागत छात्राएँ अपना विश्वविद्यालय का परीक्षा फार्म निश्चित समय में ऑनलाइन भरकर उसकी हार्डकापी निर्धारित संलग्नकों सहित जमा करें। ऐसा न करने पर वे परीक्षा में सम्मिलित न हो सकेंगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्रा को होगा।
16. प्रत्येक छात्रा परिचय-पत्र के साथ ही प्राचार्या से कार्यालय में सम्पर्क कर सकेंगी।
17. प्रवेश फार्म के साथ संलग्न दो पोस्टकार्डों पर टिकट लगाकर प्रत्येक छात्रा को अपना पता (कक्षा सहित) लिखकर प्रवेशफार्म के साथ जमा करना होगा।
18. महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा **मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।** उपर्युक्त नियमों का पालन न करने की दशा में छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।



महात्मा ज्योतिबा फुले रूहलेखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रवेश नियमावली (परिसर एवम् महाविद्यालयों के लिए)

खण्ड 'क'

शैक्षणिक सत्र 2015-2016

1. (क) विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।
(ख) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.05.2014 में संकायाध्यक्षों की संस्तुति के आधार पर विज्ञान एवं कला संकाय के विषय संयोजन (Subject Combination) का अनुमोदन किया गया। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित समूह बनाया गया।

(A) विज्ञान गुप :

(क)
जन्तु विज्ञान
अथवा
इण्डिस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी
अथवा
बायोटेक्नोलॉजी

(ख)
वनस्पति
अथवा
पर्यावरण विज्ञान

(ग)
रसायन विज्ञान
अथवा
औद्योगिक रसायन
अथवा
सैन्य अध्ययन

(B) मैथ्स गुप :

(क)
भौतिक विज्ञान

(ख)
रसायन विज्ञान
अथवा
औद्योगिक रसायन
अथवा
सैन्य अध्ययन

(ग)
गणित

उक्त दोनों Groups के क,ख एवं ग में से अभ्यर्थी एक विषय का ही चयन कर सकता है।

कला संकाय के अन्तर्गत विषय संयोजन निम्नवत् होगा :-

- (1) बी.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में से एक विषय लेना अनिवार्य है।
 - (2) अभ्यर्थी अधिकतम दो साहित्यिक विषयों का चयन कर सकता है-
(क) अरबी अथवा फारसी में से एक विषय।
(ख) संस्कृत अथवा उर्दू में से एक विषय।
(ग) अंग्रेजी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य में से एक अथवा दोनों विषय।
 - (3) अभ्यर्थी महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर सकता है।
 - (4) अभ्यर्थी गणित अथवा सांख्यिकी में से एक विषय का चयन कर सकता है।
 - (5) अभ्यर्थी शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शनशास्त्र में से एक विषय का चयन कर सकता है।
 - (6) अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषय में से अधिकतम दो विषयों का चयन कर सकता है।
 - (7) अनिवार्य अर्हता विषय पर्यावरण की परीक्षा में प्रथम वर्ष में संस्थागत तथा द्वितीय वर्ष में व्यक्तिगत छात्र ही सम्मिलित हों। पर्यावरण विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये। तृतीय वर्ष के परीक्षा फार्म में छात्रों द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि वह पर्यावरण विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है।
2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी। जैसा कि नीचे उल्लेख है।
3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
(ख) जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में परीक्षा सुधार के हकदार हैं, उन्हें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नति देकर प्रवेश की अन्तिम अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि वे लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। परन्तु यह नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जब सुधार परीक्षा-मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो।
(ग) उ(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल.एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।
(घ) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात् पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।



4. (क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस-सी./बी.काम./एल-एल-बी. (सेमेस्टर सिस्टम)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में, एम.ए./एम.एस-सी./एम.काम./एल.एल.एम./एम.बी.ए./पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में बी.एस-सी. (कृषि) एवं बी.टेक./बी.ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो। यह नियम सत्र 2001-2002 से प्रभावी है।
(ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित होते हैं।
5. परीक्षार्थी को 4(क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी।
7. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है। अर्थात् दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी को होगा।
8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः अन्य किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।
(ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह मान्य नहीं होगा एवं छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं शुल्क नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा मात्र बी.एड. में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।
9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के चार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा—
(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकेंगे।
(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, प्रबन्धन, अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब-ए-माहिर/अदीब-ए-कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) न होने पर स्नातक एवं (10+2+3) न होने पर परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
11. (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात् ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे। एकल विषय में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधिकतम पांच वर्ष के अन्तर्गत उत्तीर्ण करना होगा। यह नियम सत्र 2014-2015 से लागू होगा।
12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न है) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्ताकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।
13. बी.एड. (वोकेशनल), बी.एड. (स्पेशल), एम.एड./एफ्लाइड एम.एड., एल.एल.बी., एम.एस-सी./एल.एल.एम./बी.ई./बी.टेक./कक्षाओं में प्रवेश सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के द्वारा होंगे। जब तक राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित न करें।
14. विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र ही एक समतुल्यता समिति का गठन किया जायेगा जो अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के विवादों, परीक्षा प्रणाली, पत्राचार पाठ्यक्रम और अन्य समस्याओं का निस्तारण करेगी।
15. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी



- उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रवजन प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।
16. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तक तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उसको नियमित अर्थात् संस्थागत छात्र के रूप में एल.एल.एम./एम.एड. को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
18. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से अपेक्षित पात्रता-प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।
19. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।
- स्पष्टीकरण- जो छात्र प्रवेश लेने के पश्चात् अन्यत्र कहीं चला जाता है और परीक्षा फार्म आदि नहीं भरता है, वह अगले वर्ष भूपू. छात्र के रूप में तभी सम्मिलित होगा जब उसने संस्थागत छात्र के रूप में 75% उपस्थिति पूर्ण कर ली हो।
20. एम.एस.-सी (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होंगे।
- (क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों) से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- (ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस.-सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो) और एम.एस.-सी./एम.ए. सम्बन्धित ऐच्छिक विषय जिसमें प्रवेश चाहता है उसमें 45% अंक होना चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5% प्राप्तकों की छूट होगी अर्थात् उनके लिए 40% होगा।
- (ग) छात्र एम.एस.-सी, एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (घ) 1. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय/एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। एस.सी./एस.टी. के छात्र/छात्राओं को 5% प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20% शैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बी.सी.आई.) द्वारा जारी चैप्टर-II स्टैन्डर्ड ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन के रूल-10 का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- (च) मास्टर ऑफ लॉ (एल.एल.-एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, की एल.एल.बी. डिग्री (त्रिवर्षीय)/एल.एल.बी. पाँच वर्षीय प्राप्त की हो। एल.एल.एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।
- (छ) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
21. (क) अनुचित साधनों का प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्रों को, विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुद्दकमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।
- (ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना



कर सकते हैं भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ङ) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्रोक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागिरी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

22. (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा निहित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: बी.एड. तथा एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर (एन सी.टी. ई.) के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। यद्यपि विश्वविद्यालय के सामान्य प्रवेश नियम भी प्रभावी रहेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर वर्ष 1988 अथवा उसके बाद 14 वर्षीय शिक्षा ग्रहण की है तो वह परास्नातक स्तर पर प्रवेश के अर्ह नहीं हैं। अर्थात् 11+3 या 10+2+2 या 10+1+3 ऐसे छात्रों को एक वर्ष ब्रिजकोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम में से करना होगा। जिन छात्रों ने वर्ष 1987 अथवा इससे पूर्व स्नातक परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण की है उन्हें ब्रिजकोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों ने एक वर्ष का परास्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उन्हें परास्नातक के द्वितीय वर्ष के लिए ब्रिजकोर्स करना अनिवार्य नहीं है।

(ख) बी.एस-सी. (कृषि) के प्रथम में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इण्टरमीडिएट या इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान (बायोग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 प्रतिशत अंक घटाकर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगी।

(ग) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक नहीं हैं तो उसी स्ट्रीम में परास्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होंगे, तभी छात्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

(घ) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक है किन्तु एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि छात्र के स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक नहीं हैं तो बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम. वाले स्नातकोत्तर उपाधि में 50 प्रतिशत अंक अवश्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ही उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ङ) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट गणित विषय होगी।

23. एम.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी को बी.कॉम. परीक्षा 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 50 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एस-सी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों के बी.ए./बी.एस-सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एस-सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी.कॉम. या एम.कॉम. में किसी प्रकार के डिप्लोमा चाहे वह बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।

24. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य हैं। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.कॉम. और एम.ए. अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एस-सी. गणित और और कम्प्यूटर साइन्स में भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

25. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए पात्र नहीं होंगे।

26. जिन विद्यार्थियों ने जामिया-उर्दू, अलीगढ़ से अबीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

27. जिन अभ्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। हाईस्कूल स्तर की परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों ने चाहे किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।



28. उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा इन्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
29. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।
स्पष्टीकरण— सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी.एड. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।
30. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।
31. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता। महाविद्यालय/विभाग परीक्षा फार्म अस्थायी/ अन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।
32. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अर्थात् जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
33. प्रवेश समिति दिनांक 5/3/02 के बिन्दु सं0 6(1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत् है:—“सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जायेगी।”
34. बी.टेक., बी.फार्मा., उत्तीर्ण छात्र बी.एड. प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे किन्तु ऐसे छात्र बी.एस—सी उत्तीर्ण छात्रों की भांति स्नातकोत्तर कक्षा/एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

खण्ड—‘ख’

विशेष निर्देश:

1. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तियों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
2. (क) शासनादेश अनुरूप महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे छात्रावास में आरक्षित स्थान तब तक रखे जायेंगे जब तक प्रवेश की तिथि समाप्त न हो।
(ख) विकलांग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में शहीद हुए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार सम्बन्धित सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत मेरिट अथवा महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रवेश में क्रमशः 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
स्पष्टीकरण—विकलांगों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि/श्रवण ह्रास) एवं पालन निःशक्तता या प्रभास्तिकीय अंग घात के लिये पृथक-पृथक एक प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।
(ग) यदि अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं उनके रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों से भरे जायेंगे यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी में सीटें रिक्त रहती हैं तो उसे सामान्य सीटें मानकर भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। अन्य प्रदेश के छात्रों के लिए योग्यता (मेरिट) के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में केवल 5 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे और बाहर प्रदेशों के सभी छात्र सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
3. विधि प्रवेश परीक्षा एवं एम.एस—सी. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को काउन्सिलिंग के आधार पर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए सीट आबंटित होती है। अतः इनमें प्रदेश स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राचार्य कोई अनापत्ति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेंगे। काउन्सिलिंग के आधार पर आबंटित सीटें एक संस्थान से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित नहीं होगी।
4. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता-पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।
5. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी। जिन परीक्षार्थियों ने सत्र 2010-11 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्होंने स्नातक प्रथम वर्ष में (संस्थागत) जुलाई 2014 में परास्नातक में प्रवेश लिया है, उनके परीक्षा आवेदन पत्र 03 वर्ष से अधिक अन्तराल के आधार पर निरस्त नहीं किये जायेंगे। उन्हें सत्र 2014-2015 की मुख्य परीक्षा में अनुमत किया जाये।



6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शोध कक्षाओं यथा एम.फिल. एवं पी.एच.-डी. में प्रवेश हेतु भी छात्र का 10+2+3 के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है।
7. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।
8. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(अ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
(ब) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(स) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
(द) एन.सी.सी. के "सी" प्रमाण पत्र अथवा "बी" प्रमाण पत्र "जी II" प्रमाण पत्र	10 अंक
और "बी" और "जी प्रथम" प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
(ड) एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें 240 घंटे अथवा 120 घंटे तथा एक शिविर	05 अंक
या	
12 वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
या	
प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोट: किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी—अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी।

9. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।
स्पष्टीकरण: बी.एड और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

10. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रयोगिक परीक्षा को छोड़कर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी। महाविद्यालय स्तर की तैयार की गयी योग्यता सूची एवं प्रतीक्षा सूची की एक प्रति विश्वविद्यालय भेजी जायेगी एवं एक प्रति महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी। जिन कक्षाओं में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा उन्हीं कक्षाओं में प्रवेश महाविद्यालय योग्यता सूची से करेगा।

बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश सामान्यतः उन छात्रों को दिये जायेंगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कॉमर्स से उत्तीर्ण की हो। बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 5 अंक उन छात्रों को प्रदान किये जायेंगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा समतुल्य परीक्षा कॉमर्स से उत्तीर्ण की है। ऐसे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी.ए. में प्रवेश चाहते हैं उनके 5 अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे।

11. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।



12. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक की उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय त्रिज कोर्स की परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।
 13. एम.ए. कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन-स्ट्रीम के लिए आरक्षित होंगी नॉन-स्ट्रीम के अन्तर्गत गणित, भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक छात्र ही मान्य होंगे अर्थात् बी.ए. उत्तीर्ण छात्र "नॉन स्ट्रीम" के अन्तर्गत नहीं आएगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिए नॉन-स्ट्रीम नहीं होगा।
 14. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात् सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानांतरण अनुमन्य नहीं होगा।
 15. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिया जाये।
 16. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानांतरण राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में हो सकता है।
स्थानान्तरण के लिए छात्र कारणों का उल्लेख करते हुए दोनो महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं कराएगा।
- स्पष्टीकरण:-** यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा।
17. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।
 18. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5% अंको की छूट होगी।
 19. विश्वविद्यालयों में चल रहे विभिन्न विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही अधिकतम प्रवेश संख्या 40 निर्धारित की जाती है, इससे अधिक प्रवेश किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होंगे।
 20. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 21. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 को पूरक कार्यवृत्त सं 0 4 पर लिये गये निर्णयानुसार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) नई दिल्ली, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यू0पी0आर0टी0ओ0यू0) इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए0आई0यू0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी0पी0पी0 के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भ्रवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।
 22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ 5-1/2008 (सीपीपी-11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी) (NITS) को भारत सरकार के अधिनियम एन.आई.टी.एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तदनुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है, इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.08.2012 द्वारा अनुमोदित)
 23. प्रवेश नियमावली में जहाँ-जहाँ न्यूनतम अंको को योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात् यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य हैं तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होगा।

कुलसचिव



प्राध्यापक मण्डल

प्रभारी प्राचार्या

डा. रश्मि त्रिवेदी

dr.rashmitrivedi@gmail.com

एम.ए., एम.एड., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)

एसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्षा) समाजशास्त्र विभाग

राजनीतिशास्त्र विभाग:

1. डा. आबिदा खातून, एम.ए., बी.एड., पी-एच.डी.

aaabidakhatun@gmail.com

2. डा. मृदुल त्रिवेदी, एम.ए. (अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र), एम.एड., पी-एच.डी.

mradulrani1975@gmail.com

3. अंशकालिक प्रवक्ता

4. मानदेय प्रवक्ता

चित्रकला विभाग:

1. डा. किश्वर जैदी, एम.ए., बी.एड. (मूर्तिकला डिप्लोमा)

dr.kishwarzaidi803@gmail.com

पी-एच.डी., (संविदा पर नियुक्त)

2. डा. ऋचा शर्मा, एम.ए., पी-एच.डी.

dr.richasharma11@gmail.com

3. अंशकालिक प्रवक्ता

4. अंशकालिक प्रवक्ता

5. अंशकालिक प्रवक्ता

6. मानदेय प्रवक्ता

उर्दू विभाग:

1. डा. समीना बी, एम.ए., पी-एच.डी., नेट

2. डा. फरज़ाना बेबी, एम.ए., पी-एच.डी., नेट

farzanashakeel148@gmail.com

समाजशास्त्र विभाग:

1. डा. ज़किया रफत, एम.ए., बी.एड., पी-एच.डी., एसो. प्रोफेसर

dr.zakiyarafat@gmail.com

2. डा. मंजू चौधरी, एम.ए., बी.एड., पी-एच.डी., एसो. प्रोफेसर

3. अंशकालिक प्रवक्ता

4. अंशकालिक प्रवक्ता

हिन्दी विभाग:

1. डा. विदुषी भारद्वाज, एम.ए., पी-एच.डी., एसो. प्रोफेसर (विभागाध्यक्षा)

vidushi.bharadwaj@gmail.com

2. डा. सविता मिश्रा, एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट., एसो. प्रोफेसर

dr.savitamishra64@gmail.com

3. अंशकालिक प्रवक्ता

4. अंशकालिक प्रवक्ता

गृहविज्ञान विभाग:

1. श्रीमती पूजा कुमार, एम.एस.सी. (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) नेट, विभागाध्यक्षा

2. डा. सुनीता आर्य, एम.ए. (गृहविज्ञान), पी-एच.डी.

3. अंशकालिक प्रवक्ता

4. अंशकालिक प्रवक्ता



5. अंशकालिक प्रवक्ता
6. अंशकालिक प्रवक्ता
7. अंशकालिक प्रवक्ता
8. अंशकालिक प्रवक्ता
9. अंशकालिक प्रवक्ता

अंग्रेजी विभाग:

1. अंशकालिक प्रवक्ता
2. अंशकालिक प्रवक्ता
3. अंशकालिक प्रवक्ता
4. अंशकालिक प्रवक्ता

संस्कृत विभाग:

1. अंशकालिक प्रवक्ता

संगीत विभाग:

1. डॉ० सुरिन्दर कौर, एम.ए., पी-एच.डी.

शारीरिक शिक्षा विभाग:

1. डा. मंजु अरोड़ा, डी.पी.एड., एम.पी.एड.
एन.आई.एस. बैडमिंटन, नेट, पी-एच.डी.
2. अंशकालिक प्रवक्ता

dr.manju.arora01@gmail.com

इतिहास विभाग:

1. अंशकालिक प्रवक्ता

अर्थशास्त्र विभाग:

1. अंशकालिक प्रवक्ता

पर्यावरण विभाग:

1. अंशकालिक प्रवक्ता

इन्टीरियर डिजाइनिंग विभाग:

1. अंशकालिक प्रवक्ता

टैक्सटाइल डिजाइनिंग:

1. अंशकालिक प्रवक्ता

मॉस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीक:

1. डा. विदुषी भारद्वाज-कोआर्डिनेटर, हिन्दी विभागाध्यक्षा
2. अंशकालिक प्रवक्ता

vidushi.bharadwaj@gmail.com

इंग्लिश स्पीकिंग कक्षाएँ:

1. अंशकालिक ट्यूटर

कम्प्यूटर विभाग:

1. अंशकालिक ट्यूटर



बी.एड. विभाग:

- 1 डा. दीप्ति डिमरी, एम.ए. (हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र), एम.एड., नेट, पी-एच.डी.
- 2 डा. सुरेश सिंह, एम.एम.सी. (गणित), एम.एड., पी-एच.डी. dr.suresh1975@gmail.com
- 3 डा. प्रज्ञा अग्रवाल, एम.ए., एम.एड., पी-एच.डी. (भूगोल) ved_ngo@yahoo.com
- 4 श्रीमती नजमुन्निसा, एम.ए., एम.एड., नेट najmunnisa.reporter@gmail.com

शिक्षणेत्तर कर्मचारी:

1. श्री करन सिंह प्रभारी कार्यालय अधीक्षक
2. डा. मधुबाला गुप्ता प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)
3. श्री कपिल कान्त गुप्ता पुस्तकालय लिपिक
4. श्रीमती मनीषा शर्मा तबला संगतकार
5. श्री चन्द्रपाल सिंह लिपिक (स्ववित्त पोषित)
6. श्रीमती कंकना प्रयोगशाला सहायक (स्ववित्तपोषित)
7. श्री सर्वेश पाराशर लिपिक (स्ववित्त पोषित)
8. श्री नबील अख्तर वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्ववित्तपोषित)
9. श्री विकास भारती सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्ववित्तपोषित)
10. श्री प्रताप कुमार लिपिक (स्ववित्त पोषित)
11. श्री तौफीक अहमद सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्ववित्तपोषित)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी:

1. श्री राजाराम वर्मा चपरासी
2. श्री जयपाल सिंह लैब बियरर
3. श्री धीरज कुमार बुक लिफ्टर
4. श्री सियामुदीन चौकीदार
5. श्री इनाम साबिर चपरासी
6. श्रीमती रिशम देवी सफाईदारिनी
7. श्री माधव कुमार चपरासी (स्ववित्त पोषित)
8. श्री चमन सफाईदार (स्ववित्त पोषित)
9. श्री टीकम सिंह चपरासी (स्ववित्त पोषित)
10. श्री अर्जुन सिंह चपरासी (स्ववित्त पोषित)
11. श्री ज्ञान सिंह माली (स्ववित्त पोषित)
12. श्री राजकुमार सफाईकार (स्ववित्त पोषित)
13. श्री अमरजीत सिंह सफाईकार (स्ववित्त पोषित)
14. श्री राकेश चपरासी (स्ववित्त पोषित)
15. श्री अरविन्द्रा चपरासी (स्ववित्त पोषित)
16. श्री पीतम सिंह चपरासी (स्ववित्त पोषित)



सरस्वती वन्दना

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

तू स्वर की देवी, है संगीत तुझसे,
हर शब्द तेरा, है हर गीत तुझसे।
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे,
तेरी शरण हम, हमें तार दे माँ।

ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी।
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें,
विद्या का हमको, अधिकार दे माँ।

तू श्वेत वर्णी, कमल पर विराजे,
हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे।
मन से हमारे, मिटा दो अंधेरे,
उजालों का हमको, संसार दे माँ।

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

कुल गीत

सुरभित सुन्दर मधुर मनोहर
महिला महाविद्यालय अपना।
शोभा यह बिजनौर नगर की
जो गंगातट बसा हुआ है
कृष्ण चरण की रज से पावन
विदुर प्रेम रस रसा हुआ है
दिव्य साधनाएं सम्पादित
अनगिन ऋषि मुनियों की जिस पर
उसी भूमि का मान बढ़ाता
महिला महाविद्यालय अपना।
वीराकुल की माँ श्री की
अभिलाषा का साकार रूप यह
नारी जागृति को संकल्पित
त्याग प्रेम समता स्वरूप यह
गति प्रगति-सोपान समर्पण
संस्कृति की जाज्वल मशाल बन
संयम मानवता सिखलाता
महिला महाविद्यालय अपना।
ज्ञानसूर्य यह, शक्ति पुंज यह
नवशास्त्रों का है संवाहक
गूँज रहे कण-कण में जिसके
मन्त्र चेतना के उधारक

अनुशासन उत्कर्ष प्रभामय
आशा नव उल्लास प्रेरणा
चरैवेति का पाठ पढ़ाता
महिला महाविद्यालय अपना।
कला शास्त्र साहित्य और
संगीत सहित नूतन विद्याएं
पूर्ण स्वावलम्बन की गायी
जाती मधुर प्रशस्त्र ऋचाएं
कंटककीर्ण कठिन जीवन में,
अमृतस्रोत बन विश्व सरित में
स्वर्णकमल शत शत विकसाता
महिला महाविद्यालय अपना।
शतशत तेरा अभिनन्दन है
कोटि-कोटि तेरा वन्दन है
अमर रहे तू, अमर रहे तू
हृदय वाटिका में गुंजन है
देशभक्ति के दीप जलाता
महिला महाविद्यालय अपना।

गीतकार:

डॉ. विदुषी भारद्वाज
संगीत निर्देशन:
डॉ. सुरिन्दर कौर



अध्यक्ष
श्री अशोक चन्द्रा
(सेवानिवृत्त आई.ए.एस)



सचिव
श्रीमती मुक्ता वीरा



प्राचार्या
डॉ० रश्मि त्रिवेदी



कु० मनीषा गुप्ता

एम.ए. चित्रकला (2014-15) 86%
एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान



₹ 500/-